ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

बाल श्रमः सभ्य समाज में एक अभिशाप

Child Labor: A Curse in Civilized Societies

Paper Submission: 16/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

विनिता खटूमरा
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर, भारत

शैलेजा नागेन्द्र
स्ह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर, भारत

सारांश

जनगणना–2011 के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2011 को देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई है। इस प्रकार हमारा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों की सूची में चीन के बाद द्वितीय स्थापन पर है। भारत में कुल बच्चों की संख्या (5–14 आयु वर्ग) 259.6 मिलियन है, इनमें से 10.1 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, यह हमारे देश, समाज के लिए अभिशाप नहीं तो ओर क्या है ? जहाँ पढ़ने–लिखने, खेलने–कूदने और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की अवस्था में नन्हें कंधों पर सामाजिक व आर्थिक कारणों की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। जिसके चलते उनका जीवन कई अधिकारों से वंचित रह जाता है, जो उन्हें बाल्यावस्था में अनिवार्य अधिकार स्वरूप मिलने चाहिए।

बालश्रम की समस्या अपने आप में बहुत विकट है, हमारे इस शोध पत्र में बालश्रम के लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कर इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिये गये हैं। हमारे इस शोध पत्र में अजमेर जिले के बालश्रमिकों व उनके कार्यस्थलों को चिन्हित कर उनसे सम्पर्क कर कारणों को पहचान की गई है।

According to the census-2011 data, the total population of the country has increased to 121.02 crore as on 1 March 2011. Thus our country ranks second after China in the list of most populous nations. The total number of children (aged 5–14) in India is 259.6 million, out of which 10.1 million children are child laborers, what else is this a curse for our country, society? Where, in the stage of all round development of reading and writing, playing and personality, the shoulders of little ones are burdened with responsibilities due to social and economic reasons. Due to which their life is deprived of many rights, which they should get as mandatory rights in their childhood. The problem of child labor is very serious in itself, our research paper has given suggestions for resolving this problem by identifying the reasons responsible for child labor. Our research paper has identified the child laborers and their workplaces in Ajmer district and identified the reasons by contacting them.

मुख्य शब्द : बालश्रम ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालश्रमिकों का प्रतिशत (तथ्य 2001 व 2011), बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारण, सामाजिक–आर्थिक स्थिति।

Child labor Percentage of child labor in rural and urban areas (Facts 2001 and 2011), Reasons responsible for child labor, socio-economic status.

प्रस्तावना

''बचपन का मतलब सादगी है, बच्चों के नजरिये से दुनिया को देखो यह बहुत सुंदर है।''

– कैलाश सत्यार्थी

बाल्यावस्था ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अति महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह अवस्था ही प्रत्येक बालक के भविष्य का निर्माण करती है और प्रत्येक बालक का भविष्य ही अपनी भावी पिढ़ी को आधार प्रदान करती है, बचपन में न तो किसी बात की चिंता, न

ही कोई तनाव और न ही कोई जिम्मेदारी होती है। बालक देश का भविष्य है वही देश का भाग्य निर्माता है। देश का सम्पूर्ण विकास बालकों पर निर्भर है। ऐसा कहा जाता है जैसा आज का बालक होगा वैसा ही कल का भारत होगा। बालपन में बच्चों को फूलों की तरह खिल–खिलाता हंसना, दोस्तों के साथ खेलना, मौज–मस्ती करना, पढ़ना–लिखना व माता–पिता का प्यार ओर संस्कारों व नैतिक आचरण इत्यादि प्रत्येक बालक को सामाजिक अधिकार स्वरूप मिलने चाहिए, लेकिन यह सभी बच्चों को नसीब नहीं हो पाता, जो समय उनका पढ़ने–लिखने, खेलने व माता–पिता का प्यार इत्यादि पाने का होता है वह समय तो उनका बालश्रमिक के रूप में व्यतीत होता है। बालश्रम की समस्या हमारे लिए चिंता का विषय है।

बालश्रम का अर्थ

प्रत्येक देश के कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु वर्ग का व्यक्ति श्रम करता है तो वह बाल श्रमिक माना जाएगा। बाल श्रम हमारे देश में लम्बे समय से अस्तित्व में है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है।

बालश्रम (प्रतिशेध एवं विनियम) अधिनियम 1986

इस अधिनियम में 14 वर्ष की आयु से कम के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है और बालकों का घरेलू कार्य सहित किसी भी कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक माना है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या खदान में नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जायेगा।

भारत में बाल श्रम की स्थिति

बालश्रम कानूनी अपराध होने के बावजूद लाखों बच्चे आज भी श्रम करने को मजबूर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या 259.6 मिलियन है, जिनमें से 10.1 मिलियन बाल जनसंख्या या तो 'मुख्य कार्यकर्ता' या सीमांत कार्यकर्ता के रूप में कार्यशील है। इसके अलावा भारत में 42.7 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

हालांकि यह एक अच्छी खबर है कि 2001 और 2011 के बीच भारत में बालश्रमिकों में 2.6 मिलियन की कमी आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में बालश्रमिकों की संख्या में कमी देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बाल श्रमिकों का भारत के ग्रामीण–शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग–अलग प्रभाव देखने को मिलता है।

वर्ष	बाल श्रमिक का प्रतिशत (5–14 आयु वर्ग)			बाल श्रमिको की कुल संख्या (5–14 आयु मिलियन में)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2001	5.9 :	2.1 :	5.0 :	11.4	1.3	12.7
2011	4.3 :	2.9 :	3.9 :	8.1	2.0	10.1

(तथ्य 2001 तथा 2011, ILO) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील बालश्रमिकों के कार्यों का वितरण 2011, के अनुसार –

कार्य का क्षेत्र	प्रतिशत	संख्या (मिलियन में)
किसान	26.0	2.63
खेतिहर मजदूर	32.9	3.33
घरेलू उद्योग श्रमिक	5.2	0.52
अन्य कार्य	35.8	3.62

(तथ्य 2011, ILO)

भारत में बालश्रमिकों की अधिकतम व्यापकता के साथ राज्यों की स्थिति

उत्तर भारत, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों का भारत में कुल बाल श्रमिकों की संस्खा का लगभग 55 प्रतिशत योगदान है।

राज्य	प्रतिशत	संख्या (मिलियन में)
उ.प्र.	21.5	2.18
बिहार	10.7	1.09
राजस्थान	8.4	0.85
महाराष्ट्र	7.2	0.73
मध्यप्रदेश	6.9	0.70

स्त्रोत, (तथ्य 2011, ILO)

साहित्यिक पुनरावलोकन

साहित्यक अध्ययन में पूर्व में बाल श्रम पर हएु अनुसंधान व शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

फराज सिद्दकी और हेरी ऐन्थोनी पेटीनॉस ने अपने शोध पत्र के विषय ''बालश्रम : मुद्दे, कारण और हस्तक्षेप'' में बताया कि बालश्रम विश्व की व्यापक व गंभीर समस्याओं में से एक है, यह समस्या सम्पूर्ण विश्व पर कटाक्ष है, विशेषकर विकासशील देशों में, इन्होंने अपने शोध पत्र में बताया कि अफ्रीका और एशिया में काम करने वाले बच्चों का 90: हिस्सा है। बालश्रम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है जहां विद्यालयी शिक्षा और कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पर पूर्ण प्रतिबंध में आज भी खामियां हैं, इन्होंने अपने अध्ययन में बालश्रम के विभिन्न कारणों की विवेचना की है, जिनमें प्रमुख कारण निर्धनता को बताया गया है तथा साथ ही अशिक्षा को भी सहयोगी कारण माना गया है।

निहार रंजन जेना ने अपने शोध पत्र ''भारत में बालश्रम : भूमिका, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की राज्यवार गणना'' [IOSR-JHSS]e ISSN" 2279.083 P-ISSN रू 2279.0845ए PP 12.16 ने अपने शोध पत्र के इस विषय में बाल श्रमिकों की राज्यवार स्थिति का विवेचन किया व साथ ही बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारणों को चिन्हित किया तथा लघु व मध्यम प्रकार के उद्यमों से जुड़े बालश्रमिकों से सम्पर्क कर उनके बालश्रम के कारणों को अंकित किया गया। इन्होंने अपने शोध–पत्र मे गरीबी व बेरोजगारी को संबंधित मानते हुए बाल श्रम के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण माना तथा अशिक्षा को भी बालश्रम के लिए जिम्मेदार माना आपके द्वारा बालश्रम की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिये गये हैं।

बालश्रम : विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक पाठ्यपुस्तक, (ILO, 2004) ISBN 92.2.11548.X इस पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग मुद्दे और कारक में बालश्रमिकों की विश्व में स्थिति का विवेचन किया गया, जिनमें विकसित, विकासशील देशों में बालश्रमिकों का प्रतिशत, भारत के विभिन्न राज्यों में बालश्रमिकों की स्थिति, सर्वाधिक बालश्रमिकों की संख्या वाले राज्यों की स्थिति तथा बालश्रमिकों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रतिशत व साथ ही बालश्रम के विभिन्न कारणों का उल्लेख व सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा इस शोध पत्र में की गई है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

बालश्रम के अर्थ व वर्तमान परिदृश्य में इस समस्या पर अध्ययन की आवश्यकता। विभिन्न कार्यों क्षेत्रों में कार्यशील बालश्रमिकों की स्थिति को प्रकाशित करना।

बाल श्रमिकों की समस्याएं व सामाजिक

आर्थिक स्थिति। बालश्रम की रोकथाम हेतु समाधान या सुझाव देना

अनुसंधान की पद्धति

इस शोध पत्र की अनुसंधान पद्धति पूर्णतया मिश्रित अध्ययन पद्धति पर आधारित है। इस शोध पत्र में 50 बालश्रमिकों को अध्ययन हेतु चुना गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन

भारत की जनगणना 2011 के तथ्य, बाल श्रमिकों की स्थिति, भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट, प्रकाशित लेखों, समाचार–पत्रों, इत्यादि के द्वारा द्वितीयक तथ्यों का संकल किया गया है।

प्राथमिक तथ्यों का संकलन

अजमेर जिले में बालश्रमिकों को चिन्हित कर साक्षात्कार द्वारा। बाल श्रमिकों के पारिवारिक स्थिति का अवलोकन द्वारा।

बाल श्रम के मुख्य कारण

निर्धनता बालश्रम के प्रमुख कारण है। परिवार का बड़ा आकार।
निरक्षरता।
जागरूकता का अभाव।
सामाजिक सांस्कृतिक व परम्परात्मक कारक।
ऋणग्रस्तता।

परिणाम व सुझाव

अजमेर जिले में बाल श्रमिकों के विभिन्न कार्यों क्षेत्रों की स्थिति निम्न है।

सांके तिक षब्द	क्षेत्र	बालश्रमिक लड़कियों की संख्या	बालश्रमिक लड़को ं की संख्या	लड़कियों का प्रतिषत	लड़को ं का प्रतिषत
अ	घरेलू कार्य	10	–	58.82 :	–
ब	भवन निर्माण कार्य	3	7	17.64 :	21.22 :
स	चाय की थड़ियों/ ढ़ाबों पर	–	10	–	30.30 :
द	अगरबत्ती की फैक्ट्री	4	6	23.52 :	18.18 :
य	मिस्त्री	–	10	–	30.30 :
	कुल – 50	17	33		

बाल श्रमिकों का प्रतिषत

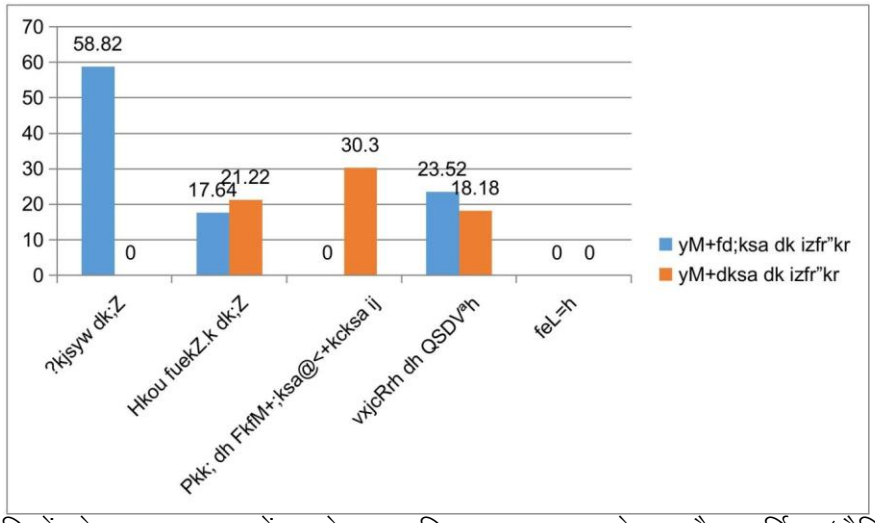

बाल श्रमिकों के इस अध्ययन में हमने पाया कि आज भी कितने ही बालक–बालिकाएं बाल श्रम से जुड़े हैं जिसके चलते उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है।

बाल श्रमिकों के द्वारा हानिकारक स्थलों पर कार्य करने के कारण (भवन निर्माण, अगरबत्ती की फैक्ट्री इत्यादि) इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उचित खान–पान के अभाव में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।

बाल–विवाह को बढ़ावा मिलता है (हमारे अध्ययन में हमने पाया कि अधिकतर बाल श्रमिकों का विवाह बचपन में ही हो गया है।)

अधिकतर बाल श्रमिकों के घर में बिजली, पानी के कनेक्शन ही नहीं हैं वह लोग आज भी अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं, घरों की स्थिति भी ठीक नहीं है। सीलनयुक्त घर जिनमें रोशनी व हवा की उचित व्यवस्था भी नहीं है।

बाल श्रम की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निम्न प्रावधान किये गये हैं

भारत के संविधान में प्रावधान अनुच्छेद–24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या खदान में नियोजित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद–21ए के तहत राज्य द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

अनुच्छेद–39ई के तहत राज्य सुनिश्चित करेगा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता के चलते मजबूरन उन्हें ऐसे रोजगार में नहीं जाना पड़े जो उनकी आयु व क्षमता के विपरीत हो।

अनुच्छेद–39एफ राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें तथा शोषण और आर्थिक/नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाये।

अनुच्छेद–45 में भी 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अब इसे अनुच्छेद–21ए में मौलिक अधिकार बना दिया गया है तथा इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा लागू किया गया है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

खान अधिनियम 1952

कारखाना अधिनियम 1948

PENCIL Portal (Platform for effective enforcement for no child labour) 2017 केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल मजदूरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बाल श्रम (पेंसिल) पोर्टल के द्वारा प्रभावी प्रवर्तन के लिए प्लेटफार्म को शुरू किया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है।

इसका उद्देश्य बालश्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केन्द्र, राज्य, जिला, सरकार, नागरिक, समाज और आम जनता को शामिल करना है।

बाल श्रम की समस्या को पूर्णतः समाप्त करने हेतु बालश्रम निषेध सभी सहकारी अधिनियमों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से किया जाए इन सभी कार्यों के क्रियान्वयन का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

सभी बाल श्रम निषेध कार्यक्रमों को सतही स्तर से लागू किया जाए। निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलबध कराया जाए।

सरकार द्वारा निर्धन परिवारों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिले इसके लिए उन्हें इन योजनाओं से अवगत करवाया जाना चाहिए।

बालश्रम के खिलाफ कानून और भी अधिक सख्त किये जाए।

बाल श्रमिकों के परिवार से सम्पर्क कर उन्हें श्रम करवाने के गंभीर परिणामों से अवगत कराया

जाए व साथ ही शिक्षा के महत्त्व को समझाते हुए उन्हें उन बालकों को विद्यालयों में भेजने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बालश्रम निषेध हेतु हमारी सरकार द्वारा कई नियम व कानून बनाये गये हैं लेकिन आज भी जमना, लक्ष्मी, भूषण, मनोज जैसे कई बालश्रमिक हैं जिन्होंने अपना बचपन दांव पर ही लगा दिया है, हमें चाहिए की बालश्रम के लिए जितने भी कारण (निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि) उत्तरदायी हैं उन सभी कारणों का समाधान करना होगा, क्योंकि यदि यह कारण यथावत रहेगें तो हम बालश्रम को कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं कर पायेगें और इन्हीं कारणों के चलते हर प्रत्येक बालश्रमिक अपने बचपन को बालश्रम के लिए उत्तरदायी कारण रूपी अग्नि में झोंकता रहेगा। हम प्रतिवर्ष 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस के रूप में बनाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही दिन बालश्रम निषेध दिवस बनने से कुछ नहीं होगा। बालश्रम मुक्त समाज के लिए हर दिन बालश्रम निषेध के रूप में मनाना होगा। बालश्रम हमारे सभ्य समाज पर एक अभिशाप की तरह है जिसका समाप्त किया जाना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *''भारत में बाल श्रमिक अधिकार कल्याण एवं सुरक्षा'' दीपिका दास, 2011।*
2. *''उन्हें उनका बचपन लौटाऐं'' बाल श्रम पर बाल श्रम इंडसपरियोजना स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए संवेदीकरण परियोजना ISBN.92.2.818022ए ;2006द्ध*
3. *''बालश्रम : मुद्दे, कारण और हस्तक्षेप'' फराज सिद्दकी और हेरी ऐन्थोनी पेटीनॉस*
4. *''भारत में बालश्रम वैचारिक और वर्णनात्मक अध्ययन'' डॉ. जी.एल. परवथाया [IJHSSI] ISSN (online) : 2319-7722 ISSN (Print) : 2319-7714, Volume X, ISSUE - 1 June, 2015*
5. *''भारत में बालश्रम से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण'' हर्ष आदित्य पोद्दार, राखी प्रसाद सुपर्णा – 43–62 वर्मा, शर्मिष्ठा रॉय, श्रद्धा संचेती, सुदेशना साहा।*
6. *भारत में बालश्रम : भूमिका, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों निहार रंजना जेना के राज्यवार गणना [IOSR-JHSS]e ISSN : 2279-083 P-ISSN : 2279. 084 PP - 12.16*
7. *बालश्रम : विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक पाठ्यपुस्तक ख्स्व्ए 2004] ISSBN-92-2-11548-X*
8. *भारती जनगणना तथ्य 2011*
9. *भारत में बाल श्रमिक एक सांख्यिकीय मूल्यांकन एस.बी.एन. तिवारी, सुनिता भास्कर सामाजिक सांख्यिकीय विभाग,ऋिचा शंकर, श्रीकांत काले, सौम्या केन्द्रिय सांख्यिकीय विभाग, पी. कुमार, रवि कुमार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार*
10. *बालश्रम और प्रतिक्रिया–अवलोकन, भारत (ILO)*
11. *श्रमिकों के अधिकार एवं बालश्रम निषेध कानून विधिक चेतना अभियान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर*

Internet Sources

www.workingchild.org
www.unicef.org
www.ilo.org